



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालय

Phone: 4258174
4266034
4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति: २०७५/१२/२९

पत्र संख्या: २०७५/७६

च.नं.

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुखज्यू/अध्यक्षज्यू,
नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)

नायब महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको सन्देश

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा ऐनको दफा ४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ती निकायको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।



टंकमणि शर्मा, दंगाल
महालेखापरीक्षक

यस वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराको सारांश महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ। ६ वटा स्थानीय तहको लेखा सेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेन। आर्थिक कारोबार, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, कानूनको पालना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार र असुल फछ्यौट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लेखापरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिकाबमोजिम प्रचलित ऐन, कानून, निर्णय समेतका आधारमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीबाट प्राप्त सूचना र सुझावलाई प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्थानीयतहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः पारित भएका कानूनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा फरक/विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको, योजना छनौट, सञ्चालन र भुक्तानीमा समस्या देखिएको, वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, आन्तरिक आय तथा राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित नदेखिएको, आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च भएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएको, वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता व्यहोराहरू रहेका छन्।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) अनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र ऐनको दफा २०(३) मा स्थानीय तहको प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा उपर छलफल गरी टुङ्गो लगाउँदा लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता एवं स्वार्थ बाझिने व्यवहार नहुने आस्वस्ततासँगै स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्दछु। यो स्थानीय तहको सम्बन्धमा दोस्रो प्रतिवेदन हो। संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यलाई उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त भएको छ। यद्यपी नयाँ संरचनामा भौतिक, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौति र समस्याका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा र सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सुझाव दिई सहयोग गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरू लगायत नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, अहोरात्र खटिई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न योगदान गर्ने कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा-निर्देशनालय

पत्र संख्या:

मिति: २०७५।१२।११

श्री प्रमुखज्यू,
पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका,
सिन्धुपाल्चोक ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

यस कार्यालयबाट पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को पेश भएका वित्तीय विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजातको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी - आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून तथा अभ्यास अनुरूप लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने कार्यका साथै आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ ।

लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी - प्रस्तुत वित्तीय विवरणहरु उपर लेखापरीक्षणको आधारमा राय व्यक्त गर्नु लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी हो । लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार उपलब्ध गराउन पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रुपमा सञ्चित कोष विवरणमा सारभूत असर पार्ने व्यहोराहरु निम्नानुसार छन् :

१. लेखापरीक्षणबाट रु.९८ लाख ३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१७ लाख ४१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.४३ लाख १४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.३७ लाख ४८ हजार रहेको छ ।
२. आमदानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुन सकेन ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७५।१०।२७ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया तथा प्रमाण प्राप्त नभएकोले फछ्यौट हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोराहरुलाई पुनरावलोकन गरी तयार गरिएको पाना १० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न छ ।

कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण रायले त्यहाँको सञ्चित कोष विवरणमा पर्ने असर र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराहरु बाहेक आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आर्थिक कारोबार, लेखा तथा प्रतिवेदन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम रहेको छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)
नायब महालेखापरीक्षक

पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाँउपालिका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७४।०७५

परिचय :

स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको संचालन गर्न गाँउपालिका स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु हो । यो गाँउपालिका अर्न्तगत ८ वडा रहेको ४४ सभा सदस्य ५३६ व.की.मी.क्षेत्रफल २०९८६ जनसंख्या ३ प्रदेशमा अवस्थित छ ।

स्थानीय संचितकोष: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोजिम सुनकोशी गाउँपालिका प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा साहायता र स्थानीय सरकार संचालन नभएका व्ययहरुको आयव्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न वमोजिम रहेको छ ।

| क्र. सं. | बिबरण | आय | कुल आय | क्र. सं. | बिबरण | व्यय | कुल व्यय |
|----------|---|-------------|------------|----------|---|-------------|--------------|
| १ | अ.ल्या. | | | १ | खर्च | | २७५६११४५४.५३ |
| | संचित कोष | ३६६७३२.१५ | ३६६७३२.१५ | | चालु खर्च | | |
| | चालुखर्च खाता | | | | वित्तीय समानीकरण | १४८१३६२१८.० | |
| | पुजीगत खाता | | | | नेपाल सरकार सशर्त कार्यक्रम | ७९९१२०८३.५३ | |
| | नगद मौज्जात | | | | LGCDP चालु | ०.० | |
| | | | | | सामाजिक सुरक्षा | ४१५५८५६५.० | |
| २ | अनुदान | | २५२४६९८४० | | गरिव संग विशेष्वर | ४२९०००.० | |
| | वित्तीय समानीकरण | १६४६९३०००.० | | | LGCDP | ८०८२५०.० | |
| | नेपाल सरकार सशर्त कार्यक्रम | ८२५४७८४०.० | | | पुल कुर्ने | | |
| | गरिव संग विशेष्वर कार्यक्रम | ४२९०००.० | | | गतवर्षको बेरुजु दाखिला | | |
| | संघिय पुर्वाधार तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम | ४८०००००.० | | | को.ले.नि.का फिर्ता | | |
| | | | | | संघिय पुर्वाधार तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम | ४७६७३३८.० | |
| ४ | LGCDP तर्फ अनुदान | १०६००००.० | १०६००००.० | | | | |
| | चालु | | | २ | धरौटी फिर्ता | | |
| | पुजीगत | | | | | | |
| | जि.स.स पुल कुर्ने | | | ३ | को.ले.नि.का. फिर्ता | ३९१२१६२.९० | ३९१२१६२.९० |
| | | | | | | | |
| | ODF तर्फको निकास | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ५ | सामाजिक सुरक्षा तर्फ | | | | सशर्त | | |
| | निकास | ४२४१६०००.० | ४२४१६०००.० | ५ | सुनौलो हजारदिनको बेरुजु दाखिला | | |
| | पे.फ.बाट दाखिला | | | ६ | मौज्जात बाकी | | १७६५२१२२.२२ |
| | | | | | संचितकोष खाता | | |

| क्र. सं. | बिबरण | आय | कुल आय | क्र. सं. | बिबरण | व्यय | कुल व्यय |
|----------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|---|-------------|--------------|
| ६ | पे.फ.बाट दाखिला | | | | चालु खर्च खाता | ३६६७३२.१५ | |
| | वडा का. बाट पेशकी मध्येफिर्ता | | | | आन्तरिक आम्दानी | ८६३०७७.५० | |
| | | | | | LGCDP | ०.० | |
| ७ | सिमा बिकास | | | | संघीय पूर्वाधार तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम | ३२६६२.० | |
| | चालु | | | | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | (१६७२२१.४३) | |
| | पुजीगत | | | | बितीय समानीकरण | १६५५६८७२.० | |
| | | | | ७ | पुजीगत खर्च खाता मौज्दात | | |
| ८ | आन्तरिक आम्दानी | ८६३०७७.५० | ८६३०७७.५० | ८ | को.ले.नि.का. फिर्ता गर्नुपर्ने | | |
| | मालपोत | | | | LGCDP | | |
| | पोखरी ठेक्काबाट प्राप्त | | | | सिमा बिकास | | |
| | टेन्डर फारम बिक्री | | | | बहुक्षेत्रीय पोषण | | |
| | विविध आम्दानी | | | ९ | धरौटी मौज्दात | | |
| ९ | बेरुजु बाट दाखिला | | | | | | |
| १० | धरौटी खाता | | | | | | |
| | धरौटी प्राप्त | | | | | | |
| ११ | कर दाखिला गर्न बाकी | | | | | | |
| | जम्मा | | २९७१७५६४९.६५ | | जम्मा | | २९७१७५६४९.६५ |

राजस्वतर्फ :

| शिर्षक नं. | लगत हसवली समेत | असुली | दाखिला | बाँकी | | कैफियत |
|------------|----------------|-------|--------|-------|-----|--------|
| | | | | नगद | लगत | |
| | ० | ० | ० | - | - | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | रकम |
|-----|--|-----|
| | परिचय :- स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिकी अभ्यासलाई संस्थागत गरि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्रोत साधन जनउत्तरदायी र जनताको सहभागितामा आधारित दिगो विकासको लाभ समतामूलक तरिकाले उपभोग गर्ने कार्यको लागि स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । | |
| | लेखापरीक्षणका क्रममा उपलब्ध गराईएको विवरणको लेखापरीक्षण योजना तथा कार्यक्रम अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको लेखापरीक्षण मस्यौदा प्रतिवेदनमा मिति २०७५।१०।२६ मा कार्यालयका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा छलफल गरी देहाय अनुसारका लेखापरीक्षण व्यहोरा कायम गरिएको छ । | |
| १. | आन्तरिक नियन्त्रण :- कार्यालयले प्रचलित ऐन नियमको पालना गरि आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाको पालना सम्बन्धमा नियन्त्रण व्यवस्थाको मूल्यांकन सूचीको माध्यमबाट नमूनाको आधारमा परिक्षण गर्दा निम्न व्यवस्थाहरूको पालना गरेको देखिएन । आन्तरिक नियन्त्रणमा सुधार गर्नुपर्ने केही व्यहोरा निम्न छन् : <ul style="list-style-type: none"> ➤ खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने, ➤ कार्यालयको फर्निचर सामाग्री खरिद प्रक्रियालाई खरिद नियमावली अनुसार गर्नपर्ने, ➤ म.ले.प फारम नं. २ मर्मत अभिलेख लाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने, ➤ योजना तर्जुमा गर्दा वास्तविक र यर्थाथपरक हुनुपर्ने, ➤ वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण अनुसुचि २ बमोजिम तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ, | |
| २. | तलबी प्रतिवेदन : निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७ ख(२) निजामती कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पास नगराई तलब खर्च लेख्न नहुने व्यवस्था छ। कार्यालयले आ.व. २०७४।०७५ को तलबी प्रतिवेदन पास नगरी खर्च लेखेको छ । अतः नियममा भएको व्यवस्था अनुसार तलबी प्रतिवेदन पास गरेर मात्र खर्च लेख्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । | |
| ३. | न्यायिक समिति : स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिमा वर्षभरिमा २० वटा मुद्दाको निवेदन प्राप्त भएकोमा १८ वटा फछ्यौट गरि २ वटा मुद्दा उपल्लो निकायमा पठाएको पाइयो । | |
| ४. | बजेट कार्यक्रम :- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा तोकिएको समयमा बजेट पारित गर्ने, साथै दफा ७३ अनुसार समयमा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाले बजेट समयमै पास गरेको देखिएतापनि कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने अख्तियारी समयमै प्रदान नगरेको कारण नियमित रूपमा पूँजिगत खर्च गर्न सकेको देखिदैन । अतः नियममा भएको व्यवस्था अनुसार कार्य गर्न गाउँपालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । | |
| ५. | विद्युतीय लेखा : अर्थ मन्त्रालयको च.नं.२९३ मिति २०७४।९।२ को प्रदेश तथा स्थानीय तह संचितकोषका व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धि पत्रानुसार बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४ को वुंदा नं. ५.१० मा सबै स्थानीयतहहरूले Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । सबै स्थानीयतहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट User ID तथा Password प्राप्त गरी आफ्नो संचितकोषको संचालन गर्नुपर्ने, बजेट निर्माण, लेखापालन र प्रतिवेदनका लागि यस प्रणालीको उपयोग गर्ने उल्लेख गरेकोमा यस वर्ष गाउँपालिकाले Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । तसर्थ (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । | |
| ६. | कन्टेन्जेन्सी खाता : नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ९६२ मिति २०७०।१।२४ गतेको पत्रानुसार नगरपालिकाले निर्माण खर्च गर्ने रकमको ५ प्रतिशत रकम कन्टेन्जेन्सी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी कन्टेन्जेन्सी रकम खर्च गर्दा छुट्टै खाता राखी ३ प्रतिशत प्रशासनिक र २ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा खर्च गर्न | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------------|----------|---------------|-----|---|-----------------------|----------|------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|----------------|----------|---|------------------------------|----------|--|--|---|------------------------------|----------|--|--|--|-------|-----------|-------|----------|--|
| | मिल्नेमा गाउँपालिकाले कन्टेन्जेन्सी खर्च मध्ये राखेकोमा पुँजिगत र चालुखर्चको भिन्दै खाता राखेर खर्च गरेको छैन अतः कन्टेन्जेन्सी खाता राखी कन्टेन्जेन्सी रकमलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | योजना अनुगमन : स्थानिय शासन सन्चालन सम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा १६(४)ख५ मा उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारमा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था बमोजिम उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति गठन भएको छ । कार्य सम्पन्न भएका योजनाहरूको उक्त समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिए पछि मात्र योजनाको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा आ.ब. २०७४।०७५ मा गा.पा. बाट सम्पन्न भएका कतिपय योजनाहरूको समितिबाट अनुगमन गरेको देखिएन । उक्त समितिलाई क्रियाशिल गराई सम्पन्न योजना अनुगमन गरि प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि मात्र भुक्तानीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१४) बमोजिम उपभोक्ता समितिले श्रममुलक काममा कामको निर्धारण गरी काम गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले भौ.३०६-०७५।३।१५ विद्युत पोल खरिद वापत रु.६६९७०६७।० उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ । उपभोक्ता समिति गठन गरि गराउनु पर्ने काम पहिचान गरी काम दिनु पर्नेमा जस्तो सुकै कार्यमा पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराउनु नियम संमत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१४) बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट काम गराउदा श्रममुलक कामको निर्धारण गरी काम गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले विद्युत पोल खरिद वापत रु.६६९७०६७।० उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ । उपभोक्ता समिति बाट गराउनु पर्ने कामको पहिचान गरी काम दिनु पर्नेमा जुन सुकै कार्यमा पभन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराउनु नियम संमत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०. | योजना परिवर्तन :- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालिन विकास योजना बनाई लागु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ भने दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान कार्यक्रमपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभाबाट पारित भएका योजनाहरू पुन फाल्गुन महिनामा सभाबाट अन्य योजनामा परिवर्तन गरि कार्य गराइएको पाइयो । पुँजिगत खर्च धेरै आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने र पुँजिगत खर्च पभन अन्तिम समयमा बढि गर्ने परिपाटीमा सुधार हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>साविकको योजना</th> <th>रकम</th> <th>संसोधित योजना</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>मातृभाषा कक्षा संचालन</td> <td>१२००००.०</td> <td>चिया विरुवा खरिद</td> <td>१२००००.०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सामुदायिक सिकाई केन्द्रव्यवस्थापन</td> <td>२०००००.०</td> <td>कार्यालय सामान</td> <td>७५२३५४.०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>लक्षित वर्ग गा.पा. कार्यक्रम</td> <td>४०००००.०</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन</td> <td>४०००००.०</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>११२००००.०</td> <td>जम्मा</td> <td>८७२३५४.०</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | साविकको योजना | रकम | संसोधित योजना | रकम | १ | मातृभाषा कक्षा संचालन | १२००००.० | चिया विरुवा खरिद | १२००००.० | २ | सामुदायिक सिकाई केन्द्रव्यवस्थापन | २०००००.० | कार्यालय सामान | ७५२३५४.० | ३ | लक्षित वर्ग गा.पा. कार्यक्रम | ४०००००.० | | | ४ | बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन | ४०००००.० | | | | जम्मा | ११२००००.० | जम्मा | ८७२३५४.० | |
| क्र.स. | साविकको योजना | रकम | संसोधित योजना | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | मातृभाषा कक्षा संचालन | १२००००.० | चिया विरुवा खरिद | १२००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सामुदायिक सिकाई केन्द्रव्यवस्थापन | २०००००.० | कार्यालय सामान | ७५२३५४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | लक्षित वर्ग गा.पा. कार्यक्रम | ४०००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन | ४०००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ११२००००.० | जम्मा | ८७२३५४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११. | अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका तथा गाउँसभाले विकास योजना छनौट गर्दा आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किसिमका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस गाउँपालिकाले सामुदायिक भवन, क्लब भवन, खेलकुद मैदान, पाउनाघर जस्ता योजनाहरू अधिक संख्यामा समेत छनौट गरी खर्च गरेको पाइयो । कार्यालयले अनुत्पादक क्षेत्रका योजनामा रु. ४६६९५००.० खर्च गरेको छ । अतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----|-------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------|--|-------|----------|--|
| | प्राप्त गर्न सकिने योजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२. | यस गाउँपालिकाले काठमाण्डौ उपत्यकाका निम्न विद्यालयमा अध्यायनरत तहका छात्र छात्रालाई विद्यालयले जारि गरेको विलको आधारमा रकम उपलब्ध गराएको छ । गाउँपरिषद बाट छात्रवृद्धिको लागी १७ लाख स्विकृत भएको मध्ये उपत्यकामा अध्यायन गर्नेले रु.६८७०००। प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी रु.१० लाख १३ यसै गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा अध्यायनरत विद्यार्थीले प्राप्त गरेका छन् । गाउँपरिषदले निर्णय गर्दा गाउँपालिका भन्दा बाहिर अध्यायन गर्ने छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति दिने वा नदिने खुलाएको छैन । यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाले आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३. | भौ.५१-०७४।११।२० यस गाउँपालिकाको वडा नं५ गुन्सामा स्वास्थ्य चौकीको लागि जग्गा खरिद गरी एक जग्गा धनिलाई रु.९७००००। भुक्तानी भएको छ । सो स्थानको सरकारी मुल्याङ्कन मालपोत कार्यालयले ५ लाख तोकेको छ । तसर्थ १ रोपनी ३ आना जग्गालाई रु.५९३७५०। मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेमा रु.३७६२५०। बढि भुक्तानी भएको रु. | ३७६२५०.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४. | अनुगमन भत्ता : अनुगमन वापत खर्च लेखेको छ । अनुगमन गर्ने पदाधिकारीको नाम, भ्रमण उद्देश्य, भ्रमण गरेको स्थान समेत नखुलाई रु. ८४८३००.० खर्च लेखेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५. | आर्थिक सहायता : आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ को वुदा नं.२(घ) मा आर्थिक सहायता भुकम्प, बाढि, पहिरो,आगजनी, माहामारी जस्ता प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिकविपद लगायत मानवीय जीवनमा दीर्घकालिन असर पार्नेखालका मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता दीर्घरोग बाट पिडित व्यक्तिहरुको लागि तत्काल गरिने आकस्मिक कार्यलाई दिने व्यवस्था छ र सोही कार्यविधिको वुदा नं.९.५ परिभाषित आकस्मिक कार्य बाहेकअन्य प्रयोजनका लागि यस कोषबाट रकम खर्च गर्नसकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । कार्यालय विभिन्न भौचर र मितिबाट कार्यविधि विपरीत दिएको राहत नियमसंगत नदेखिएको रु. | ४००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६. | स्टेशनरी खरिद : सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार बीस लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको मालसमान, निमार्ण कार्य वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान गरी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न गो.भौ.न.बाट स्टेशनरी खरिद गर्दा खरिद योजना नबनाई टुक्रा टुक्रा पारि खरिद गरेको पाइयो । यसरी ऐनको विपरीत गरेको खरिद कार्य नियमसंगत नदेखिएको रु. | ८१०९८१.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.। मिति</th> <th>सप्लायर्सको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३३/२०७४.६.४</td> <td>उमेद छापाखाना तथा स्टेशनरी</td> <td>१३५२६०.००</td> </tr> <tr> <td>६७/२०७४.०७.२९</td> <td>धिताल स्टेशनरी एण्ड बुक सप्लायर्स</td> <td>६७४५०.००</td> </tr> <tr> <td>६८/२०७४.०७.२९</td> <td>लालीगुरास अफसेट छापाखाना</td> <td>७६५००.००</td> </tr> <tr> <td>८६/२०७४.०९.०६</td> <td>आकृति स्टेशनरी एण्ड क्म्यूनिकेशन</td> <td>२१३५०.००</td> </tr> <tr> <td>१०७/२०७४.१०.१०</td> <td>Tricon Printing and suppliers pvt.ltd</td> <td>२०४३६०.५०</td> </tr> <tr> <td>१०७/२०७४.१०.१०</td> <td>YAS Trade and Suppliers</td> <td>१०९०४५.००</td> </tr> <tr> <td>२२७/२०७५.२.१</td> <td>निल बराही प्रिन्टर्स एण्ड सप्लायर्स,</td> <td>१९७०१५.५०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>८१०९८१.०</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं.। मिति | सप्लायर्सको नाम | रकम | ३३/२०७४.६.४ | उमेद छापाखाना तथा स्टेशनरी | १३५२६०.०० | ६७/२०७४.०७.२९ | धिताल स्टेशनरी एण्ड बुक सप्लायर्स | ६७४५०.०० | ६८/२०७४.०७.२९ | लालीगुरास अफसेट छापाखाना | ७६५००.०० | ८६/२०७४.०९.०६ | आकृति स्टेशनरी एण्ड क्म्यूनिकेशन | २१३५०.०० | १०७/२०७४.१०.१० | Tricon Printing and suppliers pvt.ltd | २०४३६०.५० | १०७/२०७४.१०.१० | YAS Trade and Suppliers | १०९०४५.०० | २२७/२०७५.२.१ | निल बराही प्रिन्टर्स एण्ड सप्लायर्स, | १९७०१५.५० | | जम्मा | ८१०९८१.० | |
| गो.भौ.नं.। मिति | सप्लायर्सको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३/२०७४.६.४ | उमेद छापाखाना तथा स्टेशनरी | १३५२६०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६७/२०७४.०७.२९ | धिताल स्टेशनरी एण्ड बुक सप्लायर्स | ६७४५०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६८/२०७४.०७.२९ | लालीगुरास अफसेट छापाखाना | ७६५००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८६/२०७४.०९.०६ | आकृति स्टेशनरी एण्ड क्म्यूनिकेशन | २१३५०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०७/२०७४.१०.१० | Tricon Printing and suppliers pvt.ltd | २०४३६०.५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०७/२०७४.१०.१० | YAS Trade and Suppliers | १०९०४५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२७/२०७५.२.१ | निल बराही प्रिन्टर्स एण्ड सप्लायर्स, | १९७०१५.५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ८१०९८१.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | सवारी साधन खरिद : यस गाउँपालिकाले होण्डा कम्पनिको XR 150cc क्षमता को १ थान मोटरसाइकल रु.४८००००। खरिद गरेको छ भने FZ 150 cc को २ मोटरसाइकल रु.२६५९००। का दरले रु.५३९८००। मुल्यको आरम्भ ट्रेडर्सबाट खरिद गरेको छ । यस गाउँपालिकामा पुरानो २ मोटर साइकल एव साविक गाउँविकास समिति ८ वटा मोटरसाइकल गरी जम्मा १३ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------------|-------|--------------|---|-------------|--|----------|---|-------------|------------------------------------|----------|---|-------------|--------------------------|----------|---|--------------|--|----------|---|--------------|------------------------------------|----------|---|--------------|------------------------------------|----------|---|--------------|-----------------|----------|---|-------------|------------------------------------|---------|---|-------------|------------------------|----------|----|------------|--|----------|----|--------------|--|----------|----|-------------|------------------------------------|----------|----|-------------|------------------------------------|----------|----|--------------|--|----------|----|--------------|------------------------------------|----------|--|--|-------|-----------|--|
| १८. | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिककरण, विषयक्षेत्रगत कार्यक्रम र कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रमको आपसि तादम्यता तथा परिपुरकता मिलाउने व्यवस्था छ। तोकिएअनुरूप कार्यक्रम तयार गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९. | टुक्रा खरिद : सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरीद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा खरीद गर्न नमिल्ले छ। तर यस गाउँपालिकाले लागत अनुमान तयार गरेको छैन। नियमानुसार एकमुष्ट खरीद योजना बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्नेमा कार्यालयले विभिन्न भौचर र मिति बाट कार्यालय सामान रु. ३४६३४८५.० खरिद गरेकोछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>भौ.मिति</th> <th>विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>१५-०७४/९/२९</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>६०१४२४.०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>१४-०७४/७/२९</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>१५८८७५.०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>३२-०७४/९/२८</td> <td>भेराईटी ड्रेगन काठमाण्डौ</td> <td>२६७९०६.०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>३६-०७४/१०/१९</td> <td>पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ</td> <td>२६००९३.०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>४४-०७४/११/१०</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>२४५४३६.०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>२६७-०७५/३/१४</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>१२७४६४.०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२८८-०७५/३/१५</td> <td>रायमाभी फर्निचर</td> <td>१००६८३.०</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>८७-०७५/१/२६</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>४३६००.०</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>८८-०७५/१/२६</td> <td>कालिका फर्निसीड लामबगर</td> <td>१०००००.०</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>७२-०७५/१/३</td> <td>पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ</td> <td>२९३७९८.०</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>१२०-०७५/१/३१</td> <td>पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ</td> <td>२०००००.०</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>१२६-०७५/२/१</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>३०४८८५.०</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>१४१-०७५/२/६</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>३६३४०८.०</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>१७२-०७५/२/२१</td> <td>पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ</td> <td>१७६८७३.०</td> </tr> <tr> <td>१५</td> <td>१५३-०७५/२/१३</td> <td>यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ</td> <td>३०००००.०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३४६३४८५.०</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | भौ.मिति | विवरण | भुक्तानी रकम | १ | १५-०७४/९/२९ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ६०१४२४.० | २ | १४-०७४/७/२९ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | १५८८७५.० | ३ | ३२-०७४/९/२८ | भेराईटी ड्रेगन काठमाण्डौ | २६७९०६.० | ४ | ३६-०७४/१०/१९ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | २६००९३.० | ५ | ४४-०७४/११/१० | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | २४५४३६.० | ६ | २६७-०७५/३/१४ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | १२७४६४.० | ७ | २८८-०७५/३/१५ | रायमाभी फर्निचर | १००६८३.० | ८ | ८७-०७५/१/२६ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ४३६००.० | ९ | ८८-०७५/१/२६ | कालिका फर्निसीड लामबगर | १०००००.० | १० | ७२-०७५/१/३ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | २९३७९८.० | ११ | १२०-०७५/१/३१ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | २०००००.० | १२ | १२६-०७५/२/१ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ३०४८८५.० | १३ | १४१-०७५/२/६ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ३६३४०८.० | १४ | १७२-०७५/२/२१ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | १७६८७३.० | १५ | १५३-०७५/२/१३ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ३०००००.० | | | जम्मा | ३४६३४८५.० | |
| क्र.सं. | भौ.मिति | विवरण | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | १५-०७४/९/२९ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ६०१४२४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | १४-०७४/७/२९ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | १५८८७५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ३२-०७४/९/२८ | भेराईटी ड्रेगन काठमाण्डौ | २६७९०६.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ३६-०७४/१०/१९ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | २६००९३.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ४४-०७४/११/१० | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | २४५४३६.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | २६७-०७५/३/१४ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | १२७४६४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | २८८-०७५/३/१५ | रायमाभी फर्निचर | १००६८३.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | ८७-०७५/१/२६ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ४३६००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | ८८-०७५/१/२६ | कालिका फर्निसीड लामबगर | १०००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | ७२-०७५/१/३ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | २९३७९८.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | १२०-०७५/१/३१ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | २०००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | १२६-०७५/२/१ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ३०४८८५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | १४१-०७५/२/६ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ३६३४०८.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | १७२-०७५/२/२१ | पाँचपोखरी फ्लोरिड एण्ड फर्नेसिड, काठमाण्डौ | १७६८७३.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५ | १५३-०७५/२/१३ | यस ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ | ३०००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ३४६३४८५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०. | आन्तरिक आय :- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। व्यवसायीहरूको लगत राखी राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा लगत अद्यावधिक नभएको साथै सम्पूर्ण व्यवसायीहरूबाट कर रकम संकलन गरेको पाईएन। साथै गाउँपालिकाले तयार वार्षिक विकास योजनाको अनुसुची ३ मा विभिन्न व्यवसाय तर्फको दर निर्धारण गरेतापनि सोहि अनुसार कर उठाएको पाईएन। गाउँपालिकाले व्यक्तिगत स्वघोषणाका आधारमा मात्र व्यवसाय दर्ता र नविकरण गर्ने गरेको तथा व्यवसाय दर्ता नभएका व्यवसायीहरूको अनुगमन गरेको पाईएन। अतः व्यवसायीहरूको लगत राखी करको दायराभित्र ल्याउने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। आ.व. २०७४।७५को २०७४ साल असार १० मा वसेको गाउँसभाले आन्तरीक आम्दानीमा रु.१० लाख अनुमान गरेको देखिन्छ। यस आ.व.मा गाउँपालिकाले रु.१११५९९०। आन्तरीक आम्दानि प्राप्त गरेकोछ। गाउँसभाले आन्तरीक आम्दानी गाउँसभामा पेस गरी आन्तरीक आम्दानी बढाउने तर्फ पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१. | जिन्सी दाखिला : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४७(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई आएका सामानको मुल्य समेत खुलाई जिन्सी खातामा खुलाई जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी सेस्ता खडा गर्नु पर्नेमा व्यवस्था गरेकोमा निम्न समानहरु जिन्सी दाखिला गरेको नपाइएकोले जिन्सी दाखिला गर्नु पर्ने रु. | ३४८७९९०.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>भौ. र मिति</th> <th>विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>३१३-</td> <td>कार्यालयले खरिद गरेको डेक्सटप ३ वटा, ल्यापटप १ वटा</td> <td>१६२०००.०</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | भौ. र मिति | विवरण | भुक्तानी रकम | १ | ३१३- | कार्यालयले खरिद गरेको डेक्सटप ३ वटा, ल्यापटप १ वटा | १६२०००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | भौ. र मिति | विवरण | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ३१३- | कार्यालयले खरिद गरेको डेक्सटप ३ वटा, ल्यापटप १ वटा | १६२०००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | | | | रकम | |
|-----|--|--------------|---|--|--------------|---------|
| | | ०७५/३/२० | | | | |
| | २ | विभिन्न | ६ वटा वडा लाई प्रति वडा रु.४०००००० का दरले र २ वटा वडा लाई प्रति वडा रु.४५००००० का दरको विभिन्न फर्निचर | ३३०००००.० | | |
| | ३ | २८०-०७५/३/१४ | ग्यास इलेक्ट्रीकल हिटर खरिद | २५९९०.० | | |
| | | | जम्मा | ३४८७९९०.० | | |
| २२. | <p>जिन्सी अभिलेख : पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकामा ८ वटा वडा रहेका छन् । तत्कालिन ८ वटा गाउँविकास समितिबाट पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका बनेको हो । तत्कालिन गाउँविकास समितिमा रहेका जिन्सी अभिलेख वडा कार्यालयमा अभिलेख राखेको तर गाउँपालिकाको जिन्सी खातामा अध्यावधिक गरी राखेको नपाइएकोले जिन्सी अभिलेख अध्यावधिक गरी राख्नु पर्दछ । यस वर्ष ८ वटा वडा कार्यालयमा रु.३३०००००० को जिन्सी सामान खरीद गरेकोमा वडा कार्यालयमा अभिलेख राखेको छ तर गाउँपालिकाको खातामा अभिलेख अध्यावधिक गरेको छैन ।</p> | | | | | |
| २३. | <p>स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम गाउँपालीकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालीकाले स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकि करणका क्रियाकलाप संचालनमा तथ्यांकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भूमिका अगाडि वढाउन आवश्यक छ । तथ्यांक वेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यावन्धनले उचित सार्थकता नपाउने हुदा यस तर्फ गाउँपालीकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।</p> | | | | | |
| २४. | <p>कर दाखिला : आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कार्यालयले आफ्नो भुक्तानीमा नियमानुसार कर कट्टी गरि दाखिला गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालीकाले निम्नानुसारको भौचरबाट भुक्तानी गदा कर कट्टी गरेको नपाइएकोले राजश्व दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p> | | | | २६६४०.० | |
| | क्र.सं. | भौ.मिति | विवरण | सप्लायर्स | भुक्तानी रकम | कर रकम |
| | १ | २६९-०७४/३/१२ | कोदो चुट्न् मेसिन थ्रेसर सहितको | जे.वि.वर्कशप | ४९७२००.० | ६६००.० |
| | २ | | मिनिटेलर | स्मार्ट एग्रो सोलुसन प्रा.लि | १०८००००.० | १६२००.० |
| | ३ | २७४-०७५/३/१३ | अन्तराष्ट्रीय नारी दिवस | संस्कृतीक कार्यक्रम संयोजक भत्ता कम काटेको | ६०००.० | ८४०.० |
| | ४ | २०८-०७५/३/१४ | महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम | गाडीभाडामा कम कर दाखिला गरेको | ३००००.० | १०२०.० |
| | ५ | | | साउण्ड सिष्टम | १६५००.० | १९८०.० |
| | | | | जम्मा | | २६६४०.० |
| २५. | <p>नर्मस भन्दा बढि भुक्तानी : कार्य संचालन निर्देशिका, २०७३ परिच्छेद ७ (७.१.१५) को व्यवस्था अनुसार तालिम केन्द्र बाहेकअन्य निकायबाट सन्चालित सबै प्रकारका तालिमका सहायक तथा अन्य प्रकारको तालिमको श्रोत व्यक्ति/प्रशिक्षकको पारिश्रमीक कार्यपत्र र कक्षा संचालन वापत प्रति प्रशिक्षक रु.१६००० का दरले भुक्तानी दिनु पर्ने साथै प्रतिवेदन तयारी वापत रु.१०००० को व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न प्रशिक्षकले नर्मसमा तोकेको भन्दा बढि भुक्तानी लिएको पाइएकोले बढि भुक्तानी सम्बन्धितबाट असुल गर्नु पर्ने रु.</p> | | | | ६६०४५.० | |
| २६. | <p>उपभोक्ता समितिलाई बढि भुक्तानी : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा कुनै सार्वजनिक निकायले रनिड विलको रकम भुक्तानी गर्दा करारका शर्त बमोजिम प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँ विकास समितीले भोटेनाम्लाङ्गको विद्युत मर्मत उपभोक्ता समितिलाई रु. ४८५००.० बढि भुक्तानी दिएको. सम्बन्धित उपभोक्ता समितीहरुबाट असुल गर्नु पर्ने रु.</p> | | | | ४८५००.० | |
| २७. | <p>विद्युतिकरण : यस गाउँपालिकाको ८ वटा वडामा विद्युतीकरण गर्न २४० थान पोल, ४ थान ट्रास्फरमर एवं</p> | | | | | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|--|-------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 03 ACSR Conductor खरिद गर्न र ढुवानी गर्न एक उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। यस उपभोक्ता समितिले काठमाण्डौंको J.V.S Enter prises बाट मु.अ.कर समेत रु.६६९४५६८। मुल्यको खरिद गरेको बिल पेश गरेको छ। सो सामान ढुवानी वापत रु.७०४०००। समेत रु.७३९८५६८। खर्च भएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(२) जटिल प्रकृतिका काममा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएको छ। जसले गर्दा सो नियमको पालना भएको पाइएन। खरिद भएका ट्रान्सफरमर विद्युतीय पोल सबै प्रयोग नभै केहि जडान गर्न पर्ने बाँकी रहेको पाईयो। यस प्रकारको कार्य गर्दा नियमानुसार बोलपत्र आह्वान प्रतिस्पर्धाको माध्यबाट गरी काम गराउन पर्नेमा सो अनुसार काम भएको पाइएन। जन सहसभागिता नहुने काममा पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्ने देखिदैन। यस तर्फ गाउँपालिकालाई ध्यान जानु पर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | मोटरबाटो : गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडकको लागि रु.२५४९६९४२। को लागत अनुमान तयार गरेको छ। सो सडकको डि.पि.आर सब वे नेपाल इन्जिनियरीड कन्सल्टेन्स बाट तयार भएको छ। सो लागत अनुमानलाई निम्नानुसार टुक्र टुक्र गरी ४ खण्डमा विभाजन गरी गरीएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१)क अनुसार एक करोड रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सक्ने र सो लागत अनुमान तयार गर्दा मुल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टेन्जेन्सी रकम र जनसहभागिता अंशपनि समावेश हुने छ भन्ने उल्लेख छ। सो नियम विपरित यस गाउँपालिकाले लागत अनुमान लाई टुक्रा टुक्रा गरी ४ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएको देखिदा सो नियमको पालना गरेको पाइएन। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>खण्ड</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>कार्यालयले बेहोर्ने अंक</th> <th>उपभोक्ता समितिले बेहोर्ने अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>प्रथम खण्ड</td> <td>५९९०६२३.९४</td> <td>४७२८४९९.९५</td> <td>११८२१२४.०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>द्वितीय खण्ड</td> <td>६७४५२८९.८९</td> <td>५३९६२३९.९९</td> <td>१३४९०५७.०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>तृतीय खण्ड</td> <td>५३५३९८९.८०</td> <td>४२८२४९९.९५</td> <td>१०७०६३६.०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>चौथो खण्ड</td> <td>७४८७९३७.९३</td> <td>५९९०३४९.०</td> <td>१४९७५८८.०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२५४९७०३२.५६</td> <td>२०३९७५७९.२९</td> <td>५०९९४०५.०</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | खण्ड | लागत अनुमान | कार्यालयले बेहोर्ने अंक | उपभोक्ता समितिले बेहोर्ने अंक | १ | प्रथम खण्ड | ५९९०६२३.९४ | ४७२८४९९.९५ | ११८२१२४.० | २ | द्वितीय खण्ड | ६७४५२८९.८९ | ५३९६२३९.९९ | १३४९०५७.० | ३ | तृतीय खण्ड | ५३५३९८९.८० | ४२८२४९९.९५ | १०७०६३६.० | ४ | चौथो खण्ड | ७४८७९३७.९३ | ५९९०३४९.० | १४९७५८८.० | | जम्मा | २५४९७०३२.५६ | २०३९७५७९.२९ | ५०९९४०५.० | |
| क्र.सं. | खण्ड | लागत अनुमान | कार्यालयले बेहोर्ने अंक | उपभोक्ता समितिले बेहोर्ने अंक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | प्रथम खण्ड | ५९९०६२३.९४ | ४७२८४९९.९५ | ११८२१२४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | द्वितीय खण्ड | ६७४५२८९.८९ | ५३९६२३९.९९ | १३४९०५७.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | तृतीय खण्ड | ५३५३९८९.८० | ४२८२४९९.९५ | १०७०६३६.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | चौथो खण्ड | ७४८७९३७.९३ | ५९९०३४९.० | १४९७५८८.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | २५४९७०३२.५६ | २०३९७५७९.२९ | ५०९९४०५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९. | अनुगमन प्रतिवेदन: कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७४ अनुसार विद्यालयहरूलाई भुक्तानी हुने सशर्त पुँजगत अनुदान रकम तोकिए बमोजिम उपसयोग भए नभएको सुनिश्चित हुन त्यस्तो अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिकाले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयको मसलन्द खर्च, अपुग पाठ्यपुस्तक खरिद का लागि ३४ वटा विद्यालयलाई अनुदान स्वरुपा रु.१४२६०९७ खर्च लेखेको मा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको छैन। अनुगमन नगर्दा रकम सदुपयोग हुन नसक्ने भएकोले तोकिएको काममा प्रयोग भए नभएको एकिकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | बैठक भत्ता : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम मासिक सुविधा वापत पाउने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले व्यवस्था विपरित भुक्तानी भएको रकम नियम संबत नदेखिएको रु. | १२२४०००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | उपभोक्ता समितिको कार्य : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१) बमोजिम एक करोड रुपैयासम्मको काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट गराउन सकिने व्यवस्था भएकोमा उपभोक्ता समिति मार्फत गाउँपालिकाले विभिन्न निर्माण कार्य गराएकोमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय अनुसार छन। <ul style="list-style-type: none"> उपनियम ७ बमोजिम उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस नगरेको र उपभोक्ता भेलाबाट खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा यदि उपभोक्ता समितिले मात्र गरेको भएमा सुधार हुनु पर्दछ। गाउँसभाले योजना छनौट गर्दा सभै रिपोर्टको आधारमा लागत अनुमान तयार भए पश्चात गर्नुपर्नेमा गाउँसभाले बजेट विनियोजित गरे पश्चात योजना सभै र लागत अनुमान तयार गरेकोले लागत अनुमान र बजेटबीच तादम्यता नहुने र बजेट अनुमान र लागत अनुमान यथार्थपरक नहुने देखिन्छ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा | | | | रकम |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------|
| | उपनियम ११ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खुवाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम र जनश्रमदानबाट व्यहोरिएको श्रम नगद वा जिन्सी समेत पुरै खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिले गरेको काम खुलाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । | | | | |
| ३२ | बेरूजु फछ्यौट तथा सम्परीक्षण: आर्थिक कार्याविधि ऐन २०५५ को दफा १८ बमोजिम कार्यालयले बेरूजु फछ्यौट गरि दफा १९ बमोजिम सम्परीक्षणको लागी अनुरोध गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको गत विगतको बेरूजु मध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा गत वर्षको बेरूजु सँग सम्बन्धीत प्रमाण कागजातहरु सम्लग्न गरि बेरूजु फछ्यौट गरि सम्परीक्षण लागी अनुरोध भई आएको प्रमाण कागजात परीक्षण गर्दा व्यहोरा मनासीब देखिएकोले देहाय अनुसारको बेरूजु फछ्यौट गरीएको छ | | | | |
| | सि.न | आ.व. | बेरूजुको दफा | बेरूजुको विवरण | रकम |
| | १ | २०७३/०७४ | ३ | एक ट्रेडिङबाट खरिदको अग्रिम कर राजश्व दाखिला | १०१७.० |
| | २ | २०७३/०७४ | ४ | सामाजिक सुरक्षा कर राजश्व दाखिला | ३६०२.० |
| | ३ | २०७३/०७४ | ७ | विभिन्न सामानको अग्रिम कर राजश्व दाखिला | २६३८.० |
| | ४ | २०७३/०७४ | ८ | बहाल कर राजश्व दाखिला | ३५४०३.० |
| | | | | जम्मा | ४२६६०.० |
| ३३ | वित्तिय सुचकांक : - सुशासनको अभिवृद्धि र विश्वमा प्रचलित असुल अभ्यासको आधारमा वित्तिय जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धि स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न तोकिएको सुचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा संकायको स्तर वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायिक पक्ष, वित्तिय व्यवस्थापन पक्ष, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन विकास निर्माण सम्बन्धमा लेखापरीक्षणको सिलसिलामा विवरण भरि हिसाव गर्दा कुले पूर्णांक १०० मध्ये ६८ अंक प्राप्त गरी ६८ प्रतिशत का साथ ग्रेड B प्राप्त गरेको छ । अन्य विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | |
| ३४ | बेरूजु - पालिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरूजु रु.१७ लाख ४१ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरूजु रु.३७ लाख ४८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु.४३ लाख १४ हजार समेत रु. ९८ लाख ४ हजार बेरूजु कायम भएकोमा प्रतिक्रियाबाट प्राप्त नभएकाले सोही रकम बेरूजु कायम भएको छ । | | | | |
| ३५ | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरूजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोजिम बेरूजु फछ्यौट गर्ने, गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले गत वर्षको बेरूजु फछ्यौट गरेको देखिएन । गत वर्षको बेरूजु स्थिति निम्नानुसार देखिएको छ : | | | | |
| | गत वर्षको बेरूजु रकम (रु हजारमा) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C= A-B) | | |
| | २६७८ | ४३ | २६३५ | | |
| ३६ | अद्यावधिक बेरूजु स्थिति : जुगल गाउँपालिको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरूजु स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ : | | | | |
| | गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु हजारमा) | वर्षको सं.बाट कायम बेरूजु रु. (D) | यो वर्षको कायम बेरूजु रु. (E) | बाँकी (F=C+D+E) | |
| | २६३५ | - | ९८०४ | १२४३९ | |

पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकाको बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)
२०७४।७५

(रु.हजारमा)

| सि. नं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | बाँकी बेरुजू | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------------------|-------------------|------|------|-----------------------|------|-----|--------------|------|------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------|------|
| | | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | अशुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेशकी | | |
| | | | सैदान्तिक | लगती | | सैदान्तिक | लगती | | सैदान्तिक | लगती | | | रकम | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजश्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी | अन्य |
| १. | सिन्धुपाल्चोक | पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका | २३ | १० | ९८०४ | ० | ० | ० | २३ | १० | ९८०४ | ५१७ | ५५३८ | ३७४८ | - | - | ८०६२ | - | ० | ० |

स्थानीय तह सञ्चित कोष विवरण
२०७४।७५

(रु.हजारमा)

| क्र. सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | जम्मा आय | व्यय | | | | मौज्दात |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानिकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| | | | १ | २ | ३ | ४ | | ५ (२+३+४) | ६ | ७ | ८ | |
| १. | पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ३६७ | १६४६९३ | १३१२५३ | ८६३ | २९६८०९ | २७५६११ | ० | ३९१२ | २७९५२३ | १७६५३ |